

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम,
मध्य प्रदेश, ग्वालियर

क्र. प्रशा./गो.क./समिति/का.आ.- 27

दिनांक: 22.09.2022


:: कार्यालय आदेश ::

विषय: केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली 1964 के नियम 3 (ग) में उल्लिखित कदाचार के संबंध में कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों के निराकरण हेतु समिति का गठन।

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, म.प्र. महोदय के आदेश दिनांक 14.09.2022 द्वारा इस कार्यालय एवं भोपाल शाखा की कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों के निराकरण हेतु पूर्व में कार्यालय आदेश क्रमांक प्रशासन/गो.क./का.आ./75, दिनांक 17.03.2021 द्वारा गठित समिति के सदस्य श्री ए.एन शुक्ला सेवानिवृत्त वरिष्ठ लेखा अधिकारी व् श्री के.एम. बरोदिया, सेवानिवृत्त वरिष्ठ लेखा अधिकारी के स्थान पर श्रीमती अर्चना सक्सेना, वरिष्ठ लेखा अधिकारी तथा श्रीमती नसरीन हन्फी, सहायक लेखा अधिकारी को सदस्य नामित किया गया है।

तदनुसार उक्त समिति अब निम्नानुसार होगी:-

- | | |
|--|---------|
| 1. सुश्री सरिता कुमारी गुप्ता, वरिष्ठ उप महालेखाकार (निधि) | अध्यक्ष |
| 2. श्रीमती अर्चना सक्सेना, वरिष्ठ लेखा अधिकारी | सदस्य |
| 3. श्रीमती नसरीन हन्फी, सहायक लेखा अधिकारी | सदस्य |
| 4. सुश्री मिलिन्दा सिरपुरकर, सहायक लेखा अधिकारी | सदस्य |
| 5. सुश्री मंजुला आर. कृष्णन, वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी | सदस्य |
- कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I), म.प्र., ग्वालियर


उप महालेखाकार (प्रशासन)